न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 78 / 2024(GCMS 2024/295)
(आरटीआई संख्या 212355303769417)

श्री अमित, मकान नम्बर 563, गली नं. 6, शिव नगर, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर पिन–335001 (मोबाईल नम्बर 73004–07779)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अमित उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अमित ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. सादुलशहर उपखण्ड के राजकीय विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को 15 अगस्त, 2024 को उपखण्ड स्तर पर सम्मानित करने हेतु प्रस्तावित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सादुलशहर से प्राप्त राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व परीक्षा परिणामों की प्रमाणित सूचना प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. 15 अगस्त, 2024 को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सादुलशहर उपखण्ड स्तर पर सम्मानित करने हेतु सादुलशहर ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों से सीधे की प्राप्त शिक्षकों व परीक्षा परिणामों की प्रमाणित सूचना प्रति।
3. उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को 15 अगस्त 2024 को सादुलशहर उपखण्ड स्तर पर एसडीएम महोदय द्वारा सम्मानित करने हेतु चयन किए गए शिक्षकों की परीक्षा परिणाम सहित प्रमाणित सूचना प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलहशर ने अपने पत्रांक आरटीआई/25/65 दिनांक 27.02.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील के क्रम में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अन्तर्गत अपील सं. 78/2025 अमित कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में आपके द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार से है:

क्र. सं.	आवदेन पत्र का बिन्दु	विभागीय सूचना
1	सादुलशहर उपखण्ड के राजकीय विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को 15 अगस्त, 2024 को उपखण्ड स्तर पर सम्मानित करने हेतु प्रस्तावित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सादुलशहर से प्राप्त राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व परीक्षा परिणामों की प्रमाणित सूचना प्रति।	बिन्दु संख्या 01 की सूचना संलग्न है। पृ.स. 01 से पृ.सं. 6 तक कुल पृष्ठ 06 संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2	15 अगस्त, 2024 को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सादुलशहर उपखण्ड स्तर पर सम्मानित करने हेतु सादुलशहर ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों से सीधे की प्राप्त शिक्षकों व परीक्षा परिणामों की प्रमाणित सूचना प्रति।	इस कार्यालय में शिक्षकों से सीधे की कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया।
3	उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को 15 अगस्त 2024 को सादुलशहर उपखण्ड स्तर पर एसडीएम महोदय द्वारा सम्मानित करने हेतु चयन किए गए शिक्षकों की परीक्षा परिणाम सहित प्रमाणित सूचना प्रति।	सूचना संलग्न है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और बिन्दु संख्या 1 और 3 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु संख्या 2 की सूचना उनसे सम्बन्धित नहीं हैं। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों [illegible] हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के [illegible] सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर